न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.22/अपील/2022 (GCMS No. 2022/42)	18.04.2022	12.11.2024

1. सोहेल खान पुत्र अब्दुल शकूर जाति मुसलमान, निवासी तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
2. सिमरन पुत्री अब्दुल शकूर जाति मुसलमान, निवासी तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
3. फरजाना पत्नी अब्दुल शकूर जाति मुसलमान, निवासी तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

— अपीलान्टस

बनाम

1. जरीना बानो पुत्री अब्दुल हफीज जाति मुसलमान, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।
2. रमजान मोहम्मद पुत्री अब्दुल शकूर जाति मुसलमान, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।
3. टीना बानो पुत्री अब्दुल शकूर जाति मुसलमान, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तालेड़ा

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1, 2, 3 की ओर से श्री नवेद केसर लखपति, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 4 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 1577 दिनांक 23.02.2022 ग्राम जमीतपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सहखातेदार अब्दुल शकूर का देहान्त हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 22/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/42 ऑनलाईन इन्द्राज की गई। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि पक्षकारान मुस्लिम विधि से शासित है। अपीलांट के पिता अब्दुल शकूर आ. सुलेमान के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा सं.753 रकबा 0.9065 हैक्टेयर, ख.सं. 754 रकबा 0.1700 हैक्टेयर वाकेग्राम जमीतपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी में विस्थित है। दिनांक 13.05.2020 को अपीलांट के पिता का इन्तकाल हो गया, अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि पर जो फोती इन्तकाल खोला गया, वह विधिविरूद्ध खोला गया है, क्योंकि अपीलांट के पिता मृतक अब्दुल शकूर की प्रथम पत्नी जरीना बानों का अपीलांट के पिता अब्दुल शकूर से तलाक हो गया था तथा वह अपने पीहर में निवास करती है। इसके बावजूद भी खातेदार अब्दुल शकूर की पत्नी की हैसियत से जरीना बानों के पक्ष में फोती नामान्तरकरण संख्या 1577 दिनांक 23.02.2022 तस्दीक किया गया। वह प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है। अब्दुल शकूर की मृत्यु के उपरान्त उसकी प्रथम पत्नी जरीना के पुत्र रमजान मोहम्मद के द्वारा दिनांक 07.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के संबध में फोती इन्तकाल खोले जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पत्र की चरण सं.3 में रेस्पो.सं.2 रमजान मोहम्मद के द्वारा यह वर्णित किया था कि रेस्पोडेंट जरीना बानों का उसके पिता अब्दुल शकूर से सन् 1995 में ही तलाक हो गया था। तलाक का इकरारनामा भी साथ में पेश किया था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अब्दुल शकूर के खाते की उक्त भूमि पर तलाकशुदा पत्नी जरीना बानों के नाम फोती इंतकाल दर्ज कर कानून की भूल की है। अपीलांट सं.3 फरजाना ने दिनांक 25.01.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि मुस्लिम लॉ के अन्तर्गत तलाकशुदा पत्नी का कोई हक व अधिकार नहीं होता है। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार तालेडा द्वारा "मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार वारिसान तय करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करे" की टिप्पणी की गई। इस प्रकार वारिसान का मामला विवादास्पद हाने के बावजूद फोती इंतकाल खोल दिया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामा. की अपीलांट को जानकारी प्रथम बार दिनांक 16.03.22 को तहसील कार्यालय तालेडा में तलाश करने पर हुई। दिनांक 21.3.22 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अपील अन्दर अवधि पेश की गई है। अभिभाषक अपीलांट अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2, 3 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि स्वर्गीय अब्दुल शकूर की रेस्पोडेंट सं.1 जरीना बानों विवाहिता पत्नी है एवं रेस्पो.सं. 2 व 3 अब्दुल शकूर की जायज संतानें पुत्र एवं पुत्री है। जहां तक अपीलांटस द्वारा अब्दुल शकूर के द्वारा रेस्पोडेंट सं.1 जरीना बानों को तलाक देने का जो तथ्य अंकित किया है, उक्त तलाक मुस्लिम शरीयत के मुताबिक मान्य नहीं है, क्योंकि रेस्पो.सं.1 जरीना बानों उस दौरान स्वर्गीय अब्दुल शकूर के नुत्फे से गर्भवती थी। इसलिए आज भी जरीना बानों कानूनन स्वर्गीय अब्दुल शकूर की प्रथम विवाहिता पत्नी है। उक्त तथ्य अब्दुल शकूर द्वारा तलाक के इकरारनामें पर अंकित किया हुआ है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच पड़ताल कर नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो सही है। रेस्पो.सं.1 जरीना बानों एवं रेस्पो.सं.3 टीना बानों द्वारा बहैसियत खातेदार होते हुये अपने पुत्र एवं भाई रेस्पो.सं. 2 रमजान खान के पक्ष में हक परित्याग कर दिनांक 02.03.2022 को उप पंजीयक तालेडा के समक्ष पंजीयन करवा दिया है और आज भी उक्त कृषि भूमि पर रेस्पो.सं.2 रमजान खेती कर उसकी उपज से अपनी माता जरीना बानों एवं बहन टीना का पालन पोषण कर रहा है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2, 3 द्वारा अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि ग्राम जमीतपुरा की आराजी खसरा सं. 753 रकबा 0.9065 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 754 रकबा 0.1700 हैक्टेयर कुल रकबा 1.0765 हैक्टेयर का सहखातेदार अब्दुल शकूर पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान हिस्सा 5/12 था। मुताबिक प्रार्थना पत्र क्रमांक भू.अ./20/4208 दिनांक 16.12.2020 में पटवार मण्डल तालेडा वारिसान मौका पर्चा व आदेश क्रमांक 5494 दिनांक 15.12.2021 की पालना में तहसीलदार, जहाजपुर से प्राप्त वारिसान की जांच रिपोर्ट की अनुसार मृतक के स्थान पर वारिसान का नाम दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 1577 दिनांक 23.02.2022 तस्दीक किया गया। जिस पर आपत्ति प्रकट करते हुये अपीलांटस द्वारा यह अपील पेश की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय तहसीलदार तालेडा से जारी सत्य प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2021 द्वारा रमजान मोहम्मद आ. स्व.अब्दुल शकूर जाति मुसलमान हाल निवासी कल्याणपुरा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी रमजान द्वारा उसके पिता अब्दुल शकूर की दिनांक 13.05.2020 को मृत्यु हो जाने से ग्राम जमीतपुरा में स्थित उसके खातेदारी अधिकार की भूमि पर मृतक खातेदार के वारिसान प्रार्थी रमजान, उसकी बहन टीना बानू पुत्री अब्दुल शकूर एवं माता जरीना बानों पत्नी अब्दुल शकूर सहित फरजाना पत्नी अब्दुल शकूर व सिमरन पुत्री अब्दुल शकूर के नाम फोती इंतकाल खोले जाने का निवेदन किया गया था।

जिला कलक्टर, बून्दी

उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 07.11.2021 में प्रार्थी रमजान द्वारा बिन्दू सं.3 में ''जरीना का अब्दुल शकूर से तलाक सन् 1995 में हुआ था तथा उसके पश्चात अब्दुल शकूर ने दूसरा विवाह किया था,'' अंकित किया है। तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार जहाजपुर से वारिसान की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। श्रीमती फरजाना पत्नी स्व.अब्दुल शकूर जाति मुलसमान निवासी जमीतपुरा द्वारा तहसीलदार तालेडा को दिनांक 25.01.2022 को पेश प्रार्थना पत्र की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किये जाने पर प्रकट है कि प्रार्थिया द्वारा मृतक अब्दुल शकूर की पत्नी जरीना बानों से सन् 1995 में ही तलाक हो जाने से मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाकशुदा पत्नी जरीना बानों के नाम फोती इंतकाल नहीं खोले जाने का निवेदन किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का जमीतपुरा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय से समक्ष मृतक खातेदार अब्दुल शकूर के फोती इंतकाल का मामला विवादास्पद होना जाहिर हो चुका था तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार अब्दुल शकूर के विधिक वारिसान की जांच करवाई जाकर उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नियमों में निहित प्रावधानों की पालना करते हुये विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व विधिक वारिसान की जांच कर उनके सुनवाई का अवसर दिये जाने का अभाव पाया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में विधिक त्रुटि होना प्रकट होता है। ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को वारिसान की सुनवाई कर नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1577 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर मृतक खातेदार अब्दुल शकूर के विधिक वारिसान की जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, विधिक प्रावधानों की विवेचना करते हुये पृथक से आदेश पारित कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी